/

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय, रायपुर

3718
क्र. /नि.स./सचि0/स्वा./आरएसबीवाय/09 रायपुर,दिनांक 13/7/2009.

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त,
छत्तीसगढ़

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कियान्वयन।

–0–

विषयांतर्गत राज्य में माह अगस्त से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कियान्वयन किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 30,000 रूपये तक का **"स्वास्थ्य बीमा छत्रक"** (Health Insurance Cover) प्रदान किया जाएगा। योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं–

1. योजना अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नवीनतम अधिसूचित बी.पी.एल.सूची के परिवार योजना का लाभ पाने हेतु पात्र हैं।
2. परिवार के मुखिया एवं 4 अन्य सदस्यों को एक वर्ष में अधिकतम 30,000/– का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा।
3. स्वास्थ्य बीमा की समस्त प्रीमियम राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी।
4. प्रत्येक बीपीएल परिवार के मुखिया को एक फोटोयुक्त डिजीटल स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग हितग्राही योजना अन्तर्गत राज्य अथवा देश में स्थित किसी भी चिन्हांकित चिकित्सा संस्थान में कर सकेगा।

2/ शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना को समय सीमा में लक्ष्य अनुरूप कियान्वित आपके नेतृत्व में ही किया जा सकता है। याजना अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रथम चरण में 6 जिलों दुर्ग, राजनांदगॉव, बिलासपुर, रायपुर,बस्तर एवं सरगुजा में सभी पात्र हितग्राहियों को 30/9/2009 तक स्मार्ट कार्ड बनाकर प्रदान किए जाएंगे। राज्य के अन्य जिलों में स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु बीमा कंपनी के वेंडर की चयन की प्रक्रिया माह जुलाई के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। शेष जिलों में 31 दिसम्बर, 2009 तक सभी परिवारों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाना है।

योजना के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपके द्वारा समीक्षा किया जाना आवश्यक है:–

1. जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस योजना के कियान्वयन हेतु District Key Manager नियुक्त किया गया है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बीमा

कंपनी का निर्धारण राज्य स्तर से किया जाएगा एवं बीमा कंपनी द्वारा स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु एजेंसी (TPA) का निर्धारण किया जाएगा। प्रथम चरण के 6 जिलों में यह कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

2. स्मार्ट कार्ड में हितग्राही की फोटो, उसके परिवार के सदस्यों की फोटो तथा हितग्राही व उसके परिवार के सदस्यों के अंगूठे के निशान स्केन कर स्टोर किए जाएंगे। हितग्राही की पहचान हेतु योजना अंतर्गत Field Key Officer (F.K.O.) नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। प्रथम चरण के 6 जिलों में यह कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। द्वितीय चरण के जिलों में यह कार्यवाही की जा रही है। फील्ड की आफिसर को भी एक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। फील्ड की आफिसर द्वारा हितग्राही की पहचान किए जाने के उपरांत ही हितग्राही का कार्ड उपयोग हेतु एक्टिवेट होगा। आपके स्तर पर फील्ड की आफिसर की नियुक्ति व प्रशिक्षण की समीक्षा भी की जानी होगी।

3. बीपीएल परिवारों को स्मार्ट कार्ड बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित एजेंजी से पंचायत स्तर से शिविर लगाकर ऑनलाईन पद्धति से प्रदान किए जाएंगे। अतः यह आवश्यक होगा कि पंचायत व पूरे जिले में शिविर योजना की रूपरेखा आपके मार्गदर्शन में तैयार की जाए। प्रथम चरण के 6 जिलों में 30 सितम्बर, 2009 तक प्रत्येक पंचायत मे कम से कम एक शिविर तथा द्वितीय चरण के 12 जिलों में प्रत्येक पंचायत में एक शिविर 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर के मध्य आयोजित करने का लक्ष्य रखा जाए। पंचायत स्तरीय शिविर में प्रशासनिक व्यवस्था हेतु एनआरएचएम द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (VHSC) को अनाबद्ध राशि के रूप में प्रदान की गई राशि का उपयोग प्रति शिविर 2,000/ की सीमा तक किया जा सकेगा।

4. योजना के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से एवं पंचायत स्तरीय शिविर में कम से कम 70 प्रतिशत स्मार्ट कार्ड जारी करने की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि विकासखंड स्तर पर शिविर कार्यक्रम एवं योजना के लाभ के संबंध में जानकारी दिए जाने हेतु विकासखंड के समस्त सरपंच, एएनएम व बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। इस सम्मेलन के आयोजन के हेतु रूपये 5,000/– की धनराशि का व्यय एनआरएचएम द्वारा जीवनदीप समिति को प्रदान की गई अनाबद्ध राशि से किया जा सकेगा।

5. प्रथम चरण के जिलों में विकासखंड स्तरीय शिविर माह जुलाई के अंत तक व द्वितीय चरण के जिलों में उक्त शिविर माह सितम्बर के अंत तक आयोजित कर लिए जाएं।

6. योजना के अन्तर्गत सभी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डिजीटल कार्ड रीडर, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की स्थापना की जानी है। इस हेतु वेंडर का चयन एवं स्थान का निर्धारण राज्य स्तर से माह जुलाई के अंत तक किया जाएगा।

7. प्रथम चरण के 6 जिलों में वेंडर द्वारा हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की स्थापना 10 अगस्त, 2009 तक कर ली जाए। उपकरणों की स्थापना के एवज में वेंडर को भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि सीएमओ को प्रदान की जाएगी।

8. स्मार्ट कार्ड धारियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके इस हेतु यह आवश्यक होगा कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे चिकित्सा संस्थान जिनमें कम से कम 10 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध हो को योजना में भाग लेने हेतु सूचीबद्ध कर बीमा कंपनी के साथ उनका अनुबंध संपादित कराया जाए। राज्य स्तर से इस योजना में भाग लेने हेतु मापदंडों का उल्लेख कर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। निजी संस्थाओं के आवेदन जिला स्तर पर सीएमओ के कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। आवेदनों का परीक्षण निम्नानुसार समिति द्वारा किया जाएगाः–

-3-

1. कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर – अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – सचिव
3. बीमा कंपनी का प्रतिनिधि – सदस्य
4. सिविल सर्जन – सदस्य

उक्त समिति की अनुशंसा पर बीमा कंपनी द्वारा निजी संस्थान से अनुबंध किया जाएगा।

3/ योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों में स्मार्ट कार्ड के प्रति स्वामित्व का भाव (Sense Of Ownership) रखने के लिए स्मार्ट कार्ड का मूल्य 30/– निर्धारित किया गया है। उक्त राशि बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित एजेंसी द्वारा हितग्राही से प्राप्त की जाएगी।

4/ योजना अन्तर्गत स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाने हेतु संपूर्ण साफ्टवेयर व डेटाबेस भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किया गया है तथा स्मार्टकार्ड बनाना शुरू करने के पहले गरीबी रेखा के परिवारों का डेटा एंट्री व वेलिडेशन उपरांत भारत सरकार की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक होता है। प्रथम चरण के 4 जिलों राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर व सरगुजा हेतु यह कार्य भी पूर्ण हो चुका है। रायपुर का डेटा अपलोड होने हेतु भेजा गया है व बस्तर जिले के डेटा वेलिडेशन का कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण के 6 जिलों में नगरीय हितग्राहियों का डेटा भी अपलोड किया जाना शेष है। उक्त समस्त डेटा अपलोड किए जाने हेतु 31 जुलाई, 2009 तक कार्यवाही की जानी है।

5/ द्वितीय चरण के 12 जिलों में बीपीएल परिवारों की डेटा एंट्री की समीक्षा आपके स्तर से किया जाना आवश्यक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय से समन्वय कर माह अगस्त में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों का घर–घर सर्वे किया जाना आवश्यक है, ताकि स्मार्टकार्ड में त्रुटियां न हों। माह अगस्त में सर्वे के उपरांत माह सितम्बर के अंत में डेटा एंट्री कर अपलोड किया जाना होगा। इस हेतु आपके द्वारा सतत समीक्षा किया जाना होगा।

प्रदेश में पहली बार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एक फोटोयुक्त डिजीटल स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिसका उपयोग बीपीएल परिवार के पहचान पत्र एवं बीपीएल प्रमाण पत्र के रूप में भी किया जा सकेगा। शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में, जिनमें बीपीएल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इस कार्ड की छायाप्रति मान्य की जा सकेगी।

आपसे अपेक्षा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय सीमा में पूर्ण करें।

(विकास शील)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्र. 3719 /नि.स./सचि0/स्वा./आरएसबीवाय/09 रायपुर, दिनांक /7/2009

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त– रायपुर, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग –**कृपया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को संभाग स्तर अपनी मासिक समीक्षा बैठकों में शामिल कर जिलेवार इसकी सतत समीक्षा करने का कष्ट करें।**
2. निज सहायक, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री,मंत्रालय,रायपुर,
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण
4. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम/नगरपालिका/नगरपंचायत ....
5. मुख्य कार्यपालन अधिकार, जिला पंचायत समस्त,
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.......................................
7. नोडल अधिकारी, राष्टीय स्वास्थ्य बीमा योजना ....
8. जिला कार्यकम प्रबंधक, एनआरएचएम समस्त,
9. सलाहकार राष्टीय स्वास्थ्य बीमा योजना..

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(विकास शील)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग